47

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)

[समिति के 14वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

लोक लेखा समिति

(2021-22)

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

पीएसी सं. 2275

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)

[समिति के 14वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

सत्यमेव जयते

16-03-2022.....को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

16-03-2022.....को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943(शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ
लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(v)
अध्याय-एक	प्रतिवेदन.....	1-21
अध्याय-दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	22-31
अध्याय-तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति, सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती.....	32
अध्याय-चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....	33-40
अध्याय-पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं.....	41

परिशिष्ट

एक.	लोक लेखा समिति (2021-22) की 10.02.2022 को हुई 10वीं बैठक का कार्यवाही सारांश	42-44
दो.	लोक लेखा समिति के 14वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई का विश्लेषण	45

लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री जगदम्बिका पाल
7. श्री विष्णु दयाल राम
8. श्री प्रताप चंद्र षडंगी
9. श्री राहुल रमेश शेवाले
10. श्री जी. एम. सिद्देश्वर
11. श्री राजीव रंजन सिंह `ललन`
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री जयंत सिन्हा
14. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
15. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. सी.एम. रमेश
19. श्री सुखेन्दु शेखर राय
20. डॉ. एम. थंबीदुरई
21. श्री वि. विजयसाई रेड्डी *
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी **

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री सूर्य रंजन मिश्रा - निदेशक
3. श्री आलोक मणि त्रिपाठी – उप सचिव

---

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

++श्री अजय मिश्र टेनी, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

श्री राजीव चन्द्रशेखर, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

श्री भूपेन्द्र यादव,संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) से संबंधित "**त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)**" विषयक समिति के 14वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह सैंतालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का 14वां प्रतिवेदन 19 सितंबर, 2020 को लोक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार के उत्तर प्राप्त हो गए थे। समिति ने 10 फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में सैंतालीसवें प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया। समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश परिशिष्ट-एक में दिए गए हैं।

3. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को इस प्रतिवेदन में **मोटे** अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

4. समिति, इस मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की सराहना करती है।

5. 14वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट–दो में दिया गया है।

नई दिल्ली ;
मार्च, 2022
फाल्गुन, 1943 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति
लोक लेखा समिति

प्रतिवेदन

भाग – एक

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन **"त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम"** विषयक समिति के अपने चौदहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है।

2. चौदहवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 19 सितंबर, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया / राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, इसमें 10 टिप्पणियां और सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। जल शक्ति मंत्रालय से सभी टिप्पणियों और सिफारिशों से संबंधित की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं, और इन्हें मोटे तौर पर निम्नवत श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

पैरा सं. 1,3,4,5,7 और 10

कुलः 06

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से प्राप्त हुए उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

पैरा सं. शून्य

कुलः 00

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है, और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

पैरा सं. 2,6,8 और 9

कुलः 04

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं:

पैरा सं. शून्य

कुलः 00

अध्याय-पांच

3. समिति द्वारा विषय की विस्तृत जांच में कार्यक्रम के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी, योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को सम्मिलित करने, निधियों को अनियमित रूप से जारी करने, समुचित सर्वेक्षण के बिना तैयार किये गए डीपीआर, जल उपलब्धता, सिंचाई क्षमता का वास्तविक आकलन, लागत लाभ राशन की गलत गणना, सरकार द्वारा काल्पनिक और कपटपूर्ण व्यय, प्रतिवेदन के कार्यान्वयन में विलंब, कार्य प्रबंधन में कमियां, ठेकेदारों को अनुचित लाभ और योजना की अक्षम निगरानी आदि में कमियां सामने आई थी। तदनुसार समिति ने "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" विषयक अपने चौदहवें प्रतिवेदन में टिप्पणियां / सिफारिशें की थीं।

4. समिति के अपने चौदहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को इस प्रतिवेदन के संगत अध्यायों के अनुवर्ती पैराओं में पुनः उद्धृत किया गया है। समिति, अब मूल प्रतिवेदन में अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में विचार करेगी, जिन्हें दोहराए जाने अथवा जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

5. समिति इच्छा व्यक्त करती है कि जल शक्ति मंत्रालय, सभा में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के छह माह के भीतर अध्याय – एक और अध्याय – पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों से संबंधित की-गई-कार्रवाई टिप्पण उपलब्ध कराए।

एक. <u>कार्यक्रम के फोकस और उद्देश्यों में कमी - रोंगई घाटी परियोजना का मामला</u>

(टिप्पणी/सिफारिश पैरा सं. 2)

6. समिति ने पाया कि एआईबीपी का अब तक का कार्यनिष्पादन वांछित स्तर से बहुत नीचे है जिसके विभिन्न कारण हैं जैसे कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में असाधारण विलंब से लेकर सार्वजनिक धन की बर्बादी, जैसा कि रोंगई घाटी परियोजना मामले में स्पष्ट है। समिति सिफारिश करती है कि डीपीआर तैयार और संसाधित करने में सभी कमियों जैसे विलंब, अपर्याप्त सर्वेक्षण, पानी की उपलब्धता का गलत आकलन, गलत आईपी, कमांड क्षेत्र का गलत आकलन, कमांड क्षेत्र में कमी, गतिविधिवार निर्माण योजनाओं की कमी और वितरण प्रणालियों में क्रॉस ड्रेनेज कार्यों का अपर्याप्त प्रावधान पर तुरंत ध्यान दिया जाए और उनका निवारण किया जाए। समिति ने नोट किया कि मंत्रालय, डीपीआर तैयार किए बिना एआईबीपी के तहत ₹ 16.30 करोड़ की स्वीकृत लागत वाली रोंगई घाटी परियोजना को शामिल करने का कोई भी संभावित कारण बताने में असमर्थ है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सार्वजनिक धन की बर्बादी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पीएसी को सूचित करते हुए, कार्रवाई की जानी चाहिए, विशेष रूप से रोंगई घाटी परियोजना जैसे मामलों में। समिति ने यह भी नोट किया कि ₹ 10,550.91 करोड़ की कुल स्वीकृत लागत वाली 14 एमएमआई परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है। समिति ने महसूस किया कि लेखापरीक्षा को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराने के कारण अधिकांश परियोजनाएं शुरू नहीं की जा सकीं। इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि उन्हें ढूंढने और नियमित लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा के समक्ष रखने का प्रयास किया जाए। इसलिए, समिति ने महसूस किया कि मंत्रालय को और लेखापरीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए और सिफारिश करती है कि लगभग ₹ 10,000 करोड़ की

एमएमआई परियोजनाओं की और लेखापरीक्षा करनी चाहिए जोकि मंत्रालय के लिए अपने कामकाज में और सुधार करने और सीखने का अवसर होगा।

7. जल शक्ति मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:-

"एक. एआईबीपी योजना केवल अंत समय में ही वित्त पोषण करती है, इस प्रकार एआईबीपी के तहत शामिल सभी परियोजनाओं में पहले से ही एक बैंक योग्य डीपीआर होते हैं, और एआईबीपी के लिए विचार किए जाने से पहले परियोजना दीर्घ अवधि से कार्यान्वयन के अधीन है। इसके अलावा, एआईबीपी के तहत किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और सिफारिश एक पूर्व-आवश्यकता है। फिर भी, कार्यान्वयन के दौरान, कभी-कभी अनपेक्षित अन्वेषण या कार्यान्वयन के दौरान पूरक अध्ययन के समय उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त विवरणों के कारण परिवर्तन आवश्यक होते हैं। एआईबीपी परियोजनाओं के लिए इस मंत्रालय के परामर्श से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इनका उचित रूप से समाधान किया जाता है।

दो. रोंगई घाटी सिंचाई परियोजना, मेघालय, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति द्वारा 22.09.1989 को आयोजित अपनी 44 वीं बैठक में 16.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए स्वीकार्य मानी गई थी। हालांकि डीपीआर के बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके लिए टीएसी नोट उपलब्ध है। ऊपर दी गई प्रक्रिया के अनुसार, और टीएसी नोट के अनुसार, परियोजना का व्यापक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया गया था। चूंकि परियोजना पर लगभग 31 वर्ष पूर्व सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया था, अब उन तथ्यों और विवरणों का पता लगाना कठिन है जिनके आधार पर समिति ने परियोजना को स्वीकार किया था।

तीन. चार परियोजनाओं की डीपीआर अब उपलब्ध है और शेष परियोजनाओं की डीपीआर सम्बंधित राज्य सरकार से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तथापि, परियोजनाओं के लिए टीएसी नोट उपलब्ध हैं, जिनमें ऑडिट के लिए बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। डीपीआर उपलब्ध होने तक ऑडिट एजेंसियों से 4 परियोजनाओं की डीपीआर, साथ ही शेष 10 परियोजनाओं के टीएसी नोटों की जांच करने का अनुरोध किया जा रहा है ।

चार. मंत्रालय उसके द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ तीसरे पक्ष के मूल्यांकन पर जोर दे रहा है। यह प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला तकनीकी और वित्तीय ऑडिट है, जिसके तहत परियोजना के कार्यान्वयन की बारीकी से जांच की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियों का अपना बहु-स्तरीय लेखापरीक्षा तंत्र होता है। इसके अलावा, मंत्रालय की ओर से कार्य पूरा होने के बाद भी अध्ययन और उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है।"

8. लेखापरीक्षा ने मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई पर निम्नवत टिप्पणी की है:-
"एक. जैसा कि मंत्रालय ने कहा है, एआईबीपी के तहत शामिल परियोजनाओं में पहले से ही डीपीआर तैयार की गई होती है। तथापि, डीपीआर में पाई गई कमियों को देखते हुए, मंत्रालय, पीएसी को डीपीआर तैयार करने और संसाधित करने में कमियों को दूर करने के लिए की-गई-कार्रवाई के बारे में सूचित करे।

दो. रोंगई घाटी की डीपीआर का पता लगाने में विफलता को देखते हुए, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के रिकॉर्ड विधिवत संरक्षित हों । मंत्रालय, महत्वपूर्ण परियोजना दस्तावेजों के दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड रखने में सुधार के लिए की-गई-कार्रवाई के बारे में पीएसी को सूचित करे ।

तीन. जिन 4 परियोजनाओं के लिए अब डीपीआर उपलब्ध हैं, उनका विवरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि अगली लेखापरीक्षा के दौरान इसकी जांच की जा सके।

चार. परियोजना के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। विभाग, पीएसी को परियोजना के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराए।

9. जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी अंतिम टिप्पणी में निम्नवत बताया:-

"एक. सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किया जाता है। इसके अलावा, सीडब्ल्यूसी द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, जिसके आधार पर इस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति उक्त डीपीआर को इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के लिए स्वीकार करती है। इसके बाद ही परियोजना को निवेश मंजूरी और तत्पश्चात संभव वित्त पोषण के लिए लिया जाता है। प्रक्रिया सुव्यवस्थित है। कभी-कभी राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट किया जाने वाला एकमात्र मुद्दा विलंब से संबंधित होता है। तथापि, अब ई-पीएएमएस की शुरुआत के साथ, डीपीआर को ई-पीएएमएस पोर्टल में जमा करना आवश्यक है, और पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी पोर्टल पर टाइम स्टैम्पिंग के साथ पारदर्शी तरीके से की जाती है।

दो. ई-पीएएमएस पर डीपीआर के साथ, उनके प्रलेखन और रिकॉर्ड कीपिंग का ध्यान रखा जा रहा है।

तीन. जिन 5 परियोजनाओं के लिए डीपीआर अब उपलब्ध हैं, उनमें धनसिरी सिंचाई परियोजना (असम), कनुपुर सिंचाई परियोजना (ओडिशा), चंपामती सिंचाई परियोजना (असम), कोसी बैराज और उसके अनुबद्धों (बिहार) की बहाली और तदीपुडी लिफ्ट सिंचाई योजना (आंध्रप्रदेश) शामिल हैं। इसके अलावा, 06 परियोजनाओं के लिए, अर्थात् (1). बरोलिया (असम), (2) जमुना सिंचाई (असम) का आधुनिकीकरण, (3) मनु (त्रिपुरा), (4) खोवाई (त्रिपुरा), (5) टिल्लारी (गोवा), (6) गुड्डडा मल्लापुरा (कर्नाटक), तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) नोट, जो डीपीआर का सार है और जिसमें परियोजना के बारे में सभी तकनीकी और वित्तीय जानकारी शामिल है, भी अगली लेखापरीक्षा के दौरान जांच के लिए उपलब्ध है।

चार. वर्ष 2021-26 के दौरान योजना के प्रस्तावित विस्तार में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के माध्यम से परियोजनाओं के तृतीय पक्ष मूल्यांकन का प्रावधान रखा गया है। इस मंत्रालय के तहत एनडब्ल्यूडीए द्वारा निविदा के आधार पर पीएमयू एजेंसी का निर्णय किया जाना है।"

10. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में यह पाया कि एआईबीपी का कार्यनिष्पादन डीपीआर तैयार करने में असाधारण विलंब और बिना डीपीआर वाली परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत करके जनता के धन की बर्बादी के कारण वांछित स्तर का नहीं है। इसे देखते हुए, समिति ने सिफारिश की कि इसके कारण आई सभी कमियों और त्रुटियों को तत्काल दूर किया जाए। समिति ने यह भी नोट किया कि मंत्रालय के पास डीपीआर तैयार किए बिना 'रोंगई घाटी परियोजना' के लिए 16.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। समिति ने पैसे की बर्बादी के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की थी।

समिति ने यह भी नोट किया किया कि मंत्रालय ने 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 14 स्वीकृत एमएमआई परियोजनाओं की डीपीआर सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई थी।

समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि मंत्रालय ने डीपीआर तैयार करने में विलंब से बचने और इसके कारण व्यय को व्यर्थ होने से बचाने के लिए उठाए गए कदमों का भी कोई ब्यौरा नहीं दिया है। मंत्रालय द्वारा यह दलील दी गई है कि एआईबीपी के तहत शामिल सभी परियोजनाओं में बैंक योग्य डीपीआर हैं, क्योंकि इस योजना के तहत निधि उन परियोजनाओं तक विस्तारित की जाती है जो दीर्घ अवधि के लिए कार्यान्वयन के अधीन हैं। इसके विपरीत, समिति ने ऊपर बताए अनुसार यह पाया कि रोंगई घाटी परियोजनाओं के लिए कोई डीपीआर नहीं थी और 14 एमएमआई परियोजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा को डीपीआर नहीं दिया गया था। संभवतः ये उपलब्ध नहीं थे। समिति यह पाती है कि मंत्रालय की दलील तथ्यपरक नहीं है और इन लापरवाहियों/चूकों, जिनके कारण जनता के धन की बर्बादी हुई, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, समिति इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है।

11. समिति लेखापरीक्षा की इस टिप्पणी पर भी चिंता व्यक्त करती है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं संबंधी रिकार्डों को विधिवत सुरक्षित रखा जाए। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं संबंधी दस्तावेजों के प्रलेखन और रिकार्ड के रखरखाव कार्य में सुधार करने हेतु अवश्य कदम उठाने चाहिए और इस संबंध में की गई कार्रवाई समिति को सूचित करनी चाहिए।

12. समिति ने विशेष रूप से 16.30 करोड़ रुपए की रोंगई घाटी परियोजना के मामले में जिम्मेदारी तय करने पर बल दिया था जहां डीपीआर न होने पर भी परियोजना के लिए राशि स्वीकृत की गई थी। समिति यह नोट कर निराश है कि मंत्रालय ने इस मामले में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है और समिति के समक्ष बताया है कि 'चूंकि सलाहकार समिति ने काफी पहले अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए ऐसे तथ्यों और विवरणों का पता लगाना मुश्किल है जिनके आधार पर परियोजना स्वीकृत की गई थी'। 16.30 करोड़ रुपए के फिजूल व्यय और समिति की सिफारिश के अनुसार कार्यवाही न करने से भी समिति को काफी निराशा हुई है, और इससे यह पता चलता है कि मंत्रालय इस मामले को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं ले रहा है और चूककर्ताओं के विरूद्ध कोई कार्रवाई करने में संकोच कर रहा है। इसलिए, समिति रोंगई घाटी परियोजना की डीपीआर के बिना राशि स्वीकृत करने में सम्मिलित व्यक्तियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने संबंधी अपनी पिछली सिफारिश को दृढ़ता से दोहराती है।

दो. <u>एआईबीपी का अक्षम वित्तीय प्रबंधन</u>

(टिप्पणी/सिफारिश सं.4)

13. समिति ने नोट किया कि सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात सूखा प्रवण क्षेत्रों में एक (1) और अन्य क्षेत्रों में यह 1.5 है । समिति परियोजनाओं के लिए लाभ लागत अनुपात के सही आंकलन करने के संबंध में पिछले पीएसी के मंतव्य को नोट करती है । जबकि लाभ लागत अनुपात की गणना के लिए एक मानक और एक समान प्रक्रिया निर्धारित है, वास्तविकता यह है कि सीडब्ल्यूसी और परियोजना प्राधिकरण बीसीआर (लाभ लागत अनुपात) की गणना के लिए एक समान मानदंड नहीं अपना रहे हैं। समिति ऑडिट से सहमत है कि लाभ लागत अनुपात किसी परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने की कुंजी है और इस बात पर जोर देती है कि लाभ लागत अनुपात की गणना के लिए एक समान पैरामीटर अपनाने से यह सुनिश्चित होगा कि मंत्रालय परियोजना के परिणाम का प्रभावी रूप से आंकलन करने में सक्षम हो ।

14. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में उल्लेख किया है कि बीसी अनुपात की गणना, साथ ही सिंचाई घटक के लिए वित्तीय रिटर्न स्टेटमेंट और रिटर्न की आंतरिक दर की गणना हेतु, "सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए दिशानिर्देश 2010" में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करता है ।

15. बीसी अनुपात के उद्देश्य के लिए वार्षिक लागत और वार्षिक लाभों के आकलन के लिए आवश्यक विभिन्न इनपुट परियोजना विशिष्ट हैं, जैसे कि मिट्टी की विशेषताएँ, कृषि-जलवायु परिस्थितियां , फसल पैटर्न, फसल उत्पादकता आदि से

संबंधित पैरामीटर। ये पैरामीटर विभिन्न परियोजनाओं में अलग-अलग होते हैं और समान्यतया परियोजना प्राधिकरण और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसी तरह, कई अन्य पैरामीटर जैसे भूमि विकास की लागत ओएफडी कार्यों की मात्रा पर निर्भर करती है; परियोजना से पहले और बाद में वार्षिक लाभ परियोजना अधिकारियों द्वारा उनके राज्य कृषि विभागों के परामर्श से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित होते है; वार्षिक संचालन और रखरखाव लागत वित्त आयोग के मानदंडों/सिफारिशों पर निर्भर करती है। इस प्रकार बीसी अनुपात की गणना प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निर्धारित है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट पर आधारित है।

16. मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि अनुपालन के लिए पीएसी के मन्तव्य को नोट किया जाता है तथा पीएसी के 14वें प्रतिवेदन को केंद्रीय जल आयोग को इस पर संज्ञान लेने और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी गई है।

17. लेखापरीक्षा ने अपनी संवीक्षा टिप्पणी में निम्नवत उल्लेख किया:-

"चूंकि बीसीआर की गणना में दिशा-निर्देशों से विचलन और विभिन्न खाद्यान्नों की उपज के बढ़े हुए मूल्य और वार्षिक लाभ अभी भी लेखापरीक्षा में देखे गए हैं, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बीसीआर की गणना के लिए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय ।

पीएसी की सिफारिश पर सीडब्ल्यूसी द्वारा की जा रही कार्रवाई की भी सूचना दी जाए।"

18. मंत्रालय ने आगे लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में अपने उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:

"इस संबंध में कार्यालय आदेश सं. पी-15011/14/2021-ओ/ओ कॉम (एसपीआर)-एमओडब्ल्यूआर/1559-70 दिनांक 6 जुलाई, 2021,द्वारा सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), केंद्रीय जल आयोग और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव के अधीन एक कार्य समूह का गठन किया गया है । कार्य समूह को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है।"

19. समिति ने नोट किया कि सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के दिशानिर्देशों के अनुसार, सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए लाभ लागत अनुपात 1 और अन्य क्षेत्रों के लिए 1.5 है। समिति ने पाया कि वास्तव में लाभ लागत अनुपात के लिए एक मानक और एक समान प्रक्रिया निर्धारित है, वास्तव में सीडब्ल्यूसी और अन्य परियोजना प्राधिकारी बीसीआर की गणना के लिए एक समान मानदंड नहीं अपना रहे हैं। समिति ने एक समान बीसीआर का अनुसरण करने की आवश्यकता पर बल दिया था।

20. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में यह उल्लेख किया है कि सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश, 2010" में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप बीसी अनुपात की गणना, साथ ही वित्तीय रिटर्न विवरण और परियोजना के सिंचाई घटक के लिए रिटर्न की आंतरिक दर को सख्ती से लागू किया जा रहा है। आगे की गई कार्रवाई उत्तर में, मंत्रालय ने समिति को बताया है कि 6 जुलाई, 2021 को सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव के अधीन एक कार्य दल का गठन किया गया है और इस कार्य दल को दो महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

21. समिति चाहती है कि कार्यदल के निष्कर्ष/सुझाव और उस पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे यथाशीघ्र समिति के समक्ष रखे जाएं।

तीन. एआईबीपी का अक्षम वित्तीय प्रबंधन
(टिप्पणी/सिफारिश पैरा सं. 6)

22. समिति ने काल्पनिक और कपटपूर्ण व्यय के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई गंभीर अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसे सरकार ने अपने उत्तर में बड़े पैमाने पर अनुत्तरित छोड़ दिया है। समिति ने 1.47 करोड़ रुपये के संदिग्ध अनियमित व्यय पर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सरकार की विफलता और कर्नाटक सरकार के मामले में 2.63 करोड़ रुपये के संदिग्ध अनियमित भुगतान की वसूली में सरकार की विफलता को भी नोट किया।. समिति ने मंत्रालय से ऐसे मामलों को सख्ती से उसके तार्किक अंत तक आगे बढ़ाने की सिफारिश की।

23. जल शक्ति मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:-

"एआईबीपी परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा स्वयं नियोजित, निष्पादित और अनुरक्षित की जाती हैं और सीएजी रिपोर्ट के पैरा 3.11 में उल्लिखित ऐसे मामले उनके द्वारा निपटाए जाते हैं। लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्यों को भेजी गई थी। इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए पीएसी की रिपोर्ट भी उन्हें भेजी गई थी। राज्यों द्वारा दी गई और जानकारी इस प्रकार है:

अपर तुंगा परियोजना, कर्नाटक:

(क) उपायुक्त, हावेरी जिला द्वारा श्री एच.वी. हलभवी, प्रभारी, सिरास्तदार के खिलाफ विभागीय जांच की गई है एवं आदेश पत्र संख्या: डीसी/एचएवी/16016/46/2016/एचएवी/ईएसटी01/दिनांक: 25/11/2016 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही सिविल कोर्ट रानीबेन्नूर में श्री एच.वी. हलभवी और अन्य के विरुद्ध केस भी दायर किया गया है। इसके अलावा, 50.61 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है और शेष 47.23 लाख रुपये की वसूली की जानी बाकी है।

(ख) विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के कार्यालय में मुआवजे के भुगतान में अनियमितताओं की जांच सी.ए.ओ, केएनएनएल (प्रशासन), धारवाड़ द्वारा की गई है और सिफारिशों के आधार पर 3 अधिकारियों को जी.ओ. दिनांक 28/10/2013 द्वारा विधिवत रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, डब्ल्यूआरडी सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जीओ दिनांक 18/10/2014 के अनुसार संबंधित रिकॉर्ड दिनांक 03/01/2015 को सीआईडी प्राधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। सीआईडी की रिपोर्ट अपेक्षित है।

हरदोई परियोजना, उत्तर प्रदेश:

इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अभिलेखों (अनुमोदित अनुमान एवं माप पुस्तिका) की उचित जांच के बाद यह पाया गया है कि न तो कार्य का दोहराव है और न ही 1.47 करोड़ रुपये का कोई फर्जी भुगतान हुआ है।"

24. लेखापरीक्षा ने टिप्पणी की है:

"अपर तुंगा परियोजना, कर्नाटक के मामले में शेष राशि की वसूली में की गई प्रगति, अधिकारियों के खिलाफ अदालती मामला और सीआईडी की रिपोर्ट संबंधी प्रगति से पीएसी को अवगत कराया जाये।

लेखापरीक्षा टिप्पणी हरदोई शाखा प्रणाली के एक ही चेनेज पर बार-बार किए गए कार्यों से संबंधित थी । हरदोई नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया गया था। जांच करने पर यह पाया गया कि पांच मामलों में एक ही अथवा नहर की ओवरलैपिंग चेनेज पर दो बार समान कार्यआदेश दिए गए थे। सभी पांच संदर्भित मामलों में, कार्य "आंतरिक खंड की बहाली" थे जिन्हें दो

बार निष्पादित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रधान महालेखा परीक्षक (लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि उपर्युक्त मामलों से यह स्पष्ट है कि उन सभी कार्यों में कॉमन रीच शामिल थे जो कुछ महीने पहले किसी अन्य ठेकेदार अथवा उसी ठेकेदार द्वारा पहले ही निष्पादित किए जा चुके थे। इसलिए, मंत्रालय का उत्तर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पाया है कि न तो काम का दोहराव है और न ही धोखाधड़ी से 1.49 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है - स्वीकार्य नहीं है।"

25. जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी अंतिम टिप्पणियों में निम्नवत बताया:-

"अपर तुंगा परियोजना: कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में आर्थिक अपराध प्रभाग, सीआईडी, बैंगलोर द्वारा जांच पूरी कर ली गई है और आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है। फिलहाल सीआईडी अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार है।

हरदोई शाखा प्रणाली: उत्तर प्रदेश सरकार को मामले की समीक्षा करने और पीएसी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए पुनः कहा गया है।

26. समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही, जिनके आधार पर लेखापरीक्षा ने अपने निष्कर्ष दिए हैं, संबंधित राज्य सरकारों के उत्तरों को अग्रेषित कर दिया है। राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए अस्पष्टीकृत संदिग्ध अनियमित व्यय को मंत्रालय द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से माफ कर दिया गया है। समिति नोट करती है कि कर्नाटक में अपर तुंगा परियोजना के मामले में जनता के पैसे का एक हिस्सा वापस ले लिया गया है, जबकि धारवाड़ परियोजना के मामले में जांच विभिन्न चरणों में है। विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश में हरदोई परियोजना के मामले में मंत्रालय ने यह बताया है कि लेखापरीक्षा में नोट किए गए संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान की तुलना में 'न तो काम को दोहराया गया है और न ही 1.49 करोड़ रुपये का कोई कपटपूर्ण भुगतान हुआ है।'

27. समिति यह जानकर चकित है कि मंत्रालय ने इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया है और किसी अन्य प्रामाणिक सत्यापन योग्य स्रोत से तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही राज्य सरकार की जानकारी दी है। समिति सिफारिश करती है कि जल शक्ति मंत्रालय राज्य सरकार के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार का पता लगाए और फिर समिति को रिपोर्ट करे। दोनों ही निष्कर्षों में पाए गए विरोधाभासों को सुलझाने के लिए लेखापरीक्षा में भी परामर्श किया जाए। समिति महसूस करती है कि जल शक्ति मंत्रालय सार्वजनिक धन के संदिग्ध दुरूपयोग को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता और यह सिफारिश करती है कि जिन तथ्यों के आधार पर लेखापरीक्षा में निष्कर्ष निकाला गया है और साथ ही राज्य सरकार ने भी अपना निष्कर्ष निकाला है उनके आगे मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा में परामर्श कर विश्लेषण किया जाना चाहिए। समिति अपनी सिफारिश दोहराती है कि जल शक्ति मंत्रालय को ऐसे मामलों को जोर-शोर से इनके तार्किक परिणाम तक आगे बढ़ाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि लेखापरीक्षा द्वारा अपने प्रतिवेदन में इंगित किए गए ऐसे सभी मामलों के संबंध में उपरोक्त कार्य छह महीने के भीतर पूरा किया जाए और प्रत्येक मामले में परिणाम से समिति को सूचित किया जाए।

चार. <u>कार्य प्रबंधन में कमियां</u>

(टिप्पणी/ सिफारिश पैरा सं. 8)

28. समिति लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए कार्य-प्रबंधन में विभिन्न कमियां, जैसे जीएफआर के अनुसार उच्च स्तर पर अनुमोदन को बायपास करने के लिए कार्यों के विभाजन, परियोजना का गलत चरणबद्ध होना, सबस्टैंडर्ड कार्य निष्पादन आदि को नोट करती है । समिति चाहती है कि मंत्रालय राज्य को कार्यों के प्रबंधन में उचित जांच सुनिश्चित करने और किसी भी कमी के लिए जवाबदेही तय करने के संबंध मे सलाह दे। इसके अलावा, समिति यह इच्छा व्यक्त करती है मंत्रालय इन सलाहों के अनुपालन में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करे।

29. जल शक्ति मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई टिप्पणियों में निम्नवत बताया:- "एआईबीपी परियोजना राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। सभी अनुबंध मामले राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसलिए, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए लोक लेखा समिति की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्यों को भेज दी गई है। यद्यपि, मंत्रालय एआईबीपी परियोजनाओं की कार्य-योजना और प्रगति की निगरानी के लिए सफल परियोजना प्रबंधन टूल्स के उपयोग पर जोर देता है, जिसके आधार पर मंत्रालय की निगरानी एजेंसियों द्वारा विशिष्ट मुद्दों को चिह्नित किया जा सके ।"

मंत्रालय ने यह भी बताया है कि राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए पर्याप्त बहु-स्तरीय तंत्र पहले से ही मौजूद हैं।

30. लेखा परीक्षा ने आगे निम्नवत टिप्पणी की है:

" यह सत्य है कि परियोजनाओं के निष्पादन में कार्य प्रबंधन में कमियाँ पाई गई थीं। मंत्रालय को लोक लेखा समिति द्वारा सिफारिश के अनुरूप अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है और उन मुद्दों, जिन्हें मंत्रालय की निगरानी एजेंसियों द्वारा चिह्नित किया गया है, पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जाये।."

31. जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी अंतिम टिप्पणियों में निम्नवत बताया:-

"वर्ष 2021-26 के दौरान योजना के विस्तार के प्रस्ताव में पीएमयू के माध्यम से तीसरे पक्ष के मूल्यांकन सहित परियोजनाओं की निगरानी के प्रावधानों को अतिरिक्त फोकस के साथ जारी रखने का प्रस्ताव है।

लोक लेखा समिति द्वारा सुझाए गए निगरानी के लिए अतिरिक्त उपायों को 2021-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसे योजना के अनुमोदन के पश्चात संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।"

32. समिति जल शक्ति मंत्रालय के उत्तर उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा के बारे में नोट करती है जैसाकि एआईबीपी परियोजनाओं में अनुबंधों के मामले को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि मंत्रालय एआईबीपी परियोजनाओं में योजना और प्रगति की वैज्ञानिक निगरानी के लिए समय पर परीक्षण किए गए परियोजना प्रबंधन उपकरणों के उपयोग पर जोर दे रहा है, जिसके आधार पर मंत्रालय की निगरानी एजेंसियों द्वारा विशिष्ट मुद्दों को चिह्नित किया जाता है। समिति यह भी नोट करती है कि जल शक्ति मंत्रालय राज्य सरकारों की सम्यक् तत्परता की निगरानी के लिए बनाए गए बहुस्तरीय तंत्रों से संतुष्ट है। समिति चाहती है कि *2021-2026* के दौरान योजना

के विस्तार में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों के बारे में यथाशीघ्र समिति को सूचित किया जाए।

पांच. <u>ठेकेदारों को अनुचित लाभ</u>

(टिप्पणी/ सिफारिश पैरा सं. 9)

33. समिति ठेकेदारों को अनुचित लाभ के उपार्जन संबंधी लेखा परीक्षा टिप्पनियों को नोट करती है और पाती है कि समिति ने लेखापरीक्षा परीक्षण को संज्ञान मे लिया है जो ठेकेदारों को अनुचित लाभ से संबन्धित करीब 303.36 करोड़ रुपये का मामला सम्मिलित है, जो अनुबंध के तहत जोखिम और लागत खंड को लागू किए बिना अनुबंधों को समाप्त करने के कारण हुए हैं। समिति ने सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों जैसे परिसमापन क्षति पर कर न लगाने, अग्रिमों की वसूली न करने और विभिन्न राज्यों में ठेकेदारों को अधिक भुगतान, मानसून के शुरूआत से , स्थानीय हस्तक्षेप, खनिज की कमी और नक्सली गतिविधियां आदि के कारण बाधाओं को भी नोट करती है । समिति महसूस करती है कि सभी मामलों की व्यापक जांच की जानी चाहिए और सार्वजनिक धन के इस तरह के दुरुपयोग को तुरंत रोका जाना चाहिए। अतः समिति सिफारिश करती है कि सरकार ठेकेदारों को अनुचित लाभ के ऐसे सभी मामलों की जांच करने के लिए एक अलग प्रकोष्ठ का गठन कर सकती है, जो कि किए गए अधिक भुगतान से लेकर बेकार खर्च किए गए सार्वजनिक धन की वसूली के लिए प्रयास करे । समिति यह भी सिफारिश करती है कि ऐसी खामियों को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

34. जल शक्ति मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:-

" एआईबीपी परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा स्वयं नियोजित, निष्पादित और अनुरक्षित की जाती हैं और सीएजी प्रतिवेदन के पैरा 3.11 में उल्लिखित ऐसे मामले उनके द्वारा निपटाए जाते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्यों को भेजी गई थी।

इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन भी उन्हें भेजा गया था।"

35. लेखा परीक्षा ने टिप्पणी की है:

" यद्यपि परियोजनाओं की योजना, निष्पादन और रखरखाव राज्यों द्वारा किया जाता है, तथापि मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि परियोजनाओं के तहत कार्य केंद्र द्वारा पर्याप्त वित्त पोषण के माध्यम से की जा रही हैं। अतएंव, मंत्रालय को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित ठेकेदारों को अनुचित लाभ के मामलों का संज्ञान लेने और लोक लेखा समिति द्वारा यथा सिफारिश की गई जांच के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए । ठेकेदारों को अनुचित लाभ के सभी मामलों की जांच के लिए एक अलग सेल बनाने की लोक लेखा समिति की सिफारिश पर की गई कार्रवाई की सूचना लोक लेखा समिति को दी जाए।"

36. जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी अंतिम टिप्पणियों में निम्नवत बताया:-

"2021-26 की अवधि के लिए योजना के विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद, ठेकेदारों को अनुचित लाभ के ऐसे सभी मामलों की जांच और समन्वय करने के लिए इस मंत्रालय के तहत एक अलग सेल के लिए आवश्यक प्रावधानों को दिशानिर्देशों में शामिल करने का प्रस्ताव है।."

37. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में इस लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर अप्रसन्नता व्यक्त की है कि अनुबंध के तहत जोखिम और लागत खंड को लागू किए बिना अनुबंधों को समाप्त करके ठेकेदारों को अनुचित लाभ के मामलों में 303.36 करोड़ रुपये शामिल हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि मंत्रालय ने इस संबंध में विभिन्न कारणों को बताया; यथा परिसमाप्त क्षतियों पर कर न लगाना, अग्रिमों की वसूली न करना, मानसून का जल्दी आना, स्थानीय हस्तक्षेप के कारण बाधाएँ, खनिज की कमी और नक्सली गतिविधियाँ। समिति ने सार्वजनिक धन के

दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रत्येक मामले की जांच की सिफारिश की है। इस सिफारिश के संबंध में मंत्रालय के पास कोई उत्तर नहीं है। ऐसी राशि की वसूली की आवश्यकता पर जोर देते हुए, समिति ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ विभिन्न संवादों और कार्यों की निगरानी करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने का सुझाव दिया था। हालांकि, जल शक्ति मंत्रालय ने अपने उत्तर में केवल यह बताया है कि उन्होंने राज्य सरकारों को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित कर दिए हैं। समिति मंत्रालय के इस तरह के लापरवाहीपूर्ण रवैये की निंदा करती है क्योंकि वित्त पोषण का बड़ा हिस्सा एआईबीपी के तहत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इन्हें इसके कार्यान्वयन से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए और ठेकेदारों को एआईबीपी परियोजनाओं के विभिन्न मामलों में *303.36* करोड़ रुपये, जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, के अनुचित लाभ की अनुमति नहीं देनी चाहिए।इसलिए, समिति इस मामले में राज्य सरकारों के साथ संवाद तथा कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाए जाने की आवश्यकता को दोहराती है।

****

अध्याय-दो
टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

टिप्पणियाँ और सिफ़ारिशें

एआईबीपी के तहत परियोजनाओं को शामिल करना

समिति नोट करती है कि एआईबीपी के तहत परियोजना को शामिल करने के मानदंड में उसके स्थापना काल से वर्ष 1997–98, 1999–2000, 2001–2002, 2004, 2005, 2006, और 2013 में बारंबार संशोधन किए गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि एआईबीपी के अर्हता मानदंड व मानक में भी उसके स्थापना काल से कई संशोधन किए गए हैं। पर्याप्त समय के पश्चात चालू योजना में न्यून संशोधन करना तर्कसंगत समझा जा सकता है जबकि एआईबीपी के अंतर्गत परियोजनाओं को शामिल करने के लिए दिशा–निर्देशों में बार–बार ऐसे बदलाव करने से चीजों की मूल योजना ही विच्छिन्न होती प्रतीत होती है। समिति नोट करती है कि अच्छी नीयत से शुरू किए जाने के बावजूद एआईबीपी योजना में अभी तक बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है और भारत में सिंचाई व्यवस्था अभी भी अनियमित मानसून पर ही निर्भर है। कुछ समस्या तो लक्ष्यों में बार–बार संशोधन करने के कारण है। समिति चाहती है कि मंत्रालय सभी राज्य सरकारों और स्टेकहोल्डर्स को विश्वास में लेकर दिशा–निर्देशों में व्यापक संशोधन की आवश्यकता का आकलन करे और समय–सीमा को शामिल करने हेतु सुविचारित मानक और मानदंड बनाए जिसके अंतर्गत बदलाव करने की सभी संभावनाओं और हस्तक्षेप करने की परिस्थितियों को भी शामिल किया जाए ताकि बार–बार संशोधन करने की आवश्यकता से बचा जा सके और दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके और एक ऐसा ठोस दिशा–निर्देश बनाएं जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। समिति यह भी चाहती है कि दिशा–निर्देशों और इस तरह निर्धारित की गई समय–सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ और सख्त कार्रवाई की जाए।

[लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के भाग-दो का पैरा 1]

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

i. वित्तीय बाधाओं के कारण रुकी हुई परियोजनाओं को वित्तीय पोषण प्रदान करना, स्थापना के समय से ही एआईबीपी के मूल उद्देश्यों में से एक रहा है। हालांकि, समय और परिस्थितियों में बदलाव के साथ, दिशानिर्देश कालांतर में विकसित हुए हैं। ऐसा ही एक बदलाव उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों, सूखा प्रवण और आदिवासी क्षेत्रों, ओडिशा के केबीके जिलों, राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम सिंचाई विकास वाले राज्यों और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल आदि राज्यों में कृषि संकट के लिए पीएम पैकेज के तहत पहचाने गए जिले।जैसे विभिन्न क्षेत्रों जहाँ परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता के संदर्भ में किया गया है,

ii. किसी भी योजना के कार्यान्वयन की रणनीति समय के साथ विकसित होती है, और अनुभव के आधार पर समय-समय पर आवश्यकता-आधारित परिवर्तन करना अनिवार्य होता है। एआईबीपी के पात्रता और मानदंडों को समय-समय पर जरूरतों के अनुसार संशोधित किया गया है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि ज्यादातर मौकों पर, थोड़े बदलाव हुए हैं जो मुख्य रूप से एक विशिष्ट मुद्दे या अड़चन को दूर करने की आवश्यकता से प्रेरित थे। वर्ष 2016-17 के दौरान, एआईबीपी योजना एक प्रतिमान बदलाव से गुजरी, जब यह प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का एक हिस्सा बन गया। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) – एआईबीपी, नए प्रारूप में, पूर्व-निर्धारित 99 योजनाओं को एक मिशन मोड में, दिसंबर 2019 तक पूरा करने के लिए एक फोकस तरीके से लिया गया था। इसके अलावा, पहली बार बजटीय समर्थनके स्थान पर नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण की व्यवस्था केंद्र के साथ-साथ राज्य के हिस्से के लिए की गई थी। नाबार्ड के माध्यम से राज्य और केंद्र दोनों के हिस्से के लिए समय पर वित्त पोषण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, योजना की कार्यान्वयन रणनीति में परिवर्तन किए गए थे। तदनुसार, एआईबीपी के मानदंडों में कुछ बदलाव किए जाने की आवश्यकता थी।

iii. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी की विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान, योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव/संशोधन के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। प्राप्त जानकारी और योजना के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, अगले वित्तीय वर्ष से योजना के नए संस्करण के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का व्यापक अद्यतन करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए इस मंत्रालय द्वारा ईएफसी प्रस्तावित किया

जा रहा है। तथापि, जैसा कि समिति ने सुझाव दिया है, विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद ही संशोधन का प्रस्ताव है।

iv. मंत्रालय ने एआईबीपी के कार्यान्वयन के लिए प्रचलित दिशा-निर्देशों और समय-सीमा का ईमानदारी से और सख्ती से पालन करने का प्रयास किया है। इसे आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

तथ्य यह है कि 99 में से केवल 44 परियोजनाओं ही पूरा हो पाया है । अतः , मंत्रालय को इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या समय-समय पर दिशानिर्देशों में किए गए परिवर्तनों ने परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए काम किया है, जो कि एआईबीपी का प्राथमिक लक्ष्य था। मंत्रालय को पीएसी द्वारा सुझाए गए दिशा-निर्देशों पर योजना की समीक्षा करने की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों की समीक्षा और अद्यतन करने में हुई प्रगति के बारे में पीएसी को सूचित किया जाए।

टिप्पणियाँ और सिफ़ारिशें

समिति यह नोट करती है कि सीडब्ल्यूसी ने परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली में तेजी लाने के लिए ई–पीएएमएस सिस्टम तैयार किया है। समिति आशा करती है कि इससे विलंब को कम करने, स्टीक सर्वेक्षण और आकलन करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, समिति यह सिफारिश करती है कि ई–पीएएमएस सिस्टम में दी गई समयावधि का कड़ाई से अनुपालन किया जाए और जहां समय–सीमा न हो वहां पर समय–सीमा निर्धारित की जाए। समिति आगे यह भी चाहती है कि इस नए सिस्टम में सभी परिमाणनीय और तथ्यपरक आंकड़ों का यथासंभव समावेश किया जाए।

[लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के भाग-दो का पैरा 3]

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

ई-पीएएमएस में सभी हितधारकों का अनुभव अब तक बहुत उत्साहजनक रहा है। यह पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन की सटीक, समयबद्ध, विस्तृत निगरानी प्रदान करता है। मूल्यांकन और अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, पोर्टल भी समय के साथ विकसित हो रहा है, जिससे किसी भी कमियों / पूरकता को तुरंत एनआईसी की पेशेवर टीम के माध्यम से दूर किया जा रहा है, ताकि इसे अधिक उद्देश्यपूर्ण, मात्रात्मक डेटा और स्पष्ट समयसीमा के साथ बनाया जा सके।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

पीएसी द्वारा अनुशंसित सभी मात्रात्मक और वस्तुनिष्ठ डेटा को ई-पीएएमएस प्रणाली में शामिल करने के संबंध में की गई प्रगति को अद्यतन किया जाए।

टिप्पणियाँ और सिफ़ारिशें

एआईबीपी का अकुशल वित्तीय प्रबंधन

समिति नोट करती है कि सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के दिशा–निर्देशों के अनुसार सूखा प्रवण क्षेत्रों मे ऐसी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात (1) था और अन्य क्षेत्रों में यह अनुपात 1.5 था। समिति आगे सभी परियोजनाओं के लिए लाभ लागत अनुपात की सही प्रकार से गणना किए जाने संबंधी टिप्पणी को नोट करती है। यद्यपि लाभ लागत अनुपात की गणना निर्धारित मानक और एक समान प्रक्रिया के द्वारा की जाती है, तथापि वास्तविकता यह है कि सीडब्ल्यूसी और परियोजना प्राधिकारी बीसीआर की गणना हेतु एकसमान मानदंडों को नहीं अपना रहे हैं। समिति लेखापरीक्षा के इस तथ्य से असहमत नहीं है कि लाभ लागत अनुपात

किसी परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही समिति ने इस बात पर बल दिया कि लाभ लागत अनुपात की गणना हेतु एकसमान मानदंड होने से यह सुनिश्चित होगा कि मंत्रालय परियोजना के परिणाम के संबंध में अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में सक्षम होगा।

[लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के भाग-दो का पैरा 4]

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

मंत्रालय द्वारा परियोजना के बीसी अनुपात की गणना, साथ ही सिंचाई घटक के लिए वित्तीय रिटर्न स्टेटमेंट और रिटर्न की आंतरिक दर की गणना हेतु, "सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए दिशानिर्देश 2010" में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करता है ।

बीसी अनुपात के उद्देश्य के लिए वार्षिक लागत और वार्षिक लाभों के आकलन के लिए आवश्यक विभिन्न इनपुट परियोजना विशिष्ट हैं, जैसे कि मिट्टी की विशेषताएँ, कृषि-जलवायु परिस्थितियां, फसल पैटर्न, फसल उत्पादकता आदि से संबंधित पैरामीटर। ये पैरामीटर विभिन्न परियोजनाओं में अलग-अलग होते हैं और समान्यतया परियोजना प्राधिकरण और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसी तरह, कई अन्य पैरामीटर जैसे भूमि विकास की लागत ओएफडी कार्यों की मात्रा पर निर्भर करती है; परियोजना से पहले और बाद में वार्षिक लाभ परियोजना अधिकारियों द्वारा उनके राज्य कृषि विभागों के परामर्श से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित होते है; वार्षिक संचालन और रखरखाव लागत वित्त आयोग के मानदंडों/सिफारिशों पर निर्भर करती है। इस प्रकार बीसी अनुपात की गणना प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निर्धारित है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट पर आधारित है।

हालांकि, अनुपालन के लिए पीएसी के मन्तव्य को नोट किया जाता है तथा यह रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को इस पर संज्ञान लेने और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी गई है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

चूंकि बीसीआर की गणना में दिशा-निर्देशों से विचलन और विभिन्न खाद्यान्नों की उपज के बढ़े हुए मूल्य और वार्षिक लाभ अभी भी लेखापरीक्षा में देखे गए हैं, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बीसीआर की गणना के लिए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

पीएसी की सिफारिश पर सीडब्ल्यूसी द्वारा की जा रही कार्रवाई की भी सूचना दी जाए।

टिप्पणियाँ और सिफ़ारिशें

समिति ने यह पाया कि यद्यपि बीसीआर की गणना डीपीआर की पूर्व आवश्यकता है, तथापि परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए सरकार द्वारा दक्षतापूर्ण राजकोषीय प्रबंध न किए जाने के परिणामस्वरूप एआईबीपी के अधीन कई परियोजनाओं में लागत और समय की बढ़ोतरी हुई है, समिति को विश्वास है कि यदि ईमानदारी से प्रयास किए जाएं तो सरकार परियोजनाओं का कार्यान्वयन विवेकपूर्ण ढंग से कर सकती है।

[लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के भाग-दो का पैरा 5]

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

एक सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, भूमि अधिग्रहण, परियोजना प्रभावित आबादी का पुनर्वास और पुनर्वास, पर्यावरण, वन, जनजातीय आबादी संबंधी वैधानिक मंजूरी, मुकदमे, भूवैज्ञानिक आश्चर्य, रेलवे / राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग के मुद्दे आदि जैसे कई पहलू हैं , जिनका पूर्वानुमान और तत्काल समाधान कई बार संभव नहीं हो पता है। इनके कारण कई बार समय और लागत बढ़ जाते हैं ।

बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अप्रत्याशित कारकों को कम करने के लिए, एआईबीपी परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें (माननीय प्रधान मंत्री और माननीय

जल शक्ति मंत्री के स्तर तक) आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें लंबे समय से चले आ रहे कई मुद्दों को सुलझाने में काफी मदद करती हैं।

साथ ही, बाधाओं के शीघ्र समाधान के लिए रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जैसे प्रत्येक प्रतिष्ठान के नोडल अधिकारियों के साथ एक तंत्र का गठन किया गया है। रेलवे क्रॉसिंग/राजमार्ग क्रॉसिंग से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए नोडल अधिकारियों के स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं।

इसके अलावा, सीडब्ल्यूसी, इस मंत्रालय की परियोजना प्रबंधन इकाई, नाबार्ड और नीति आयोग द्वारा फील्ड विजिट के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। निगरानी प्रतिवेदनों में परियोजनाओं में प्रगति और संबंधित बाधाओं को इंगित किया जाता है जिन पर विभिन्न बैठकों में चर्चा की जाती है। इसकी प्रभावशीलता ऊपर दिए गए तथ्यों से दिखाई देती है।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पीएमकेएसवाई की स्थापना के 4 वर्षों के भीतर, 44 परियोजनाओं को पूरा किया गया है, और इसके अलावा 22 और परियोजनाओं ने अब 90% या उससे अधिक प्रगति हासिल की है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

एआईबीपी दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक वैधानिक मंजूरी परियोजना के अनुमोदन के समय शीघ्र प्राप्त की जानी चाहिए। भूमि अधिग्रहण के मामले में, एआईबीपी दिशानिर्देश के अनुसार केंद्रीय सहायता जारी करने की प्रक्रिया करते समय इसे कब्जे में भूमि से संबंधित कार्यों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। हालांकि, वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने, भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में देरी हुई है । दिसंबर 2019 तक पूरी होने वाली 99 परियोजनाओं में से 44 को ही पूरा किया गया है। मंत्रालय को परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। शेष परियोजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आगे की प्रगति की सूचना पीएसी को दी जाए।

टिप्पणियाँ और सिफ़ारिशें

समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के प्रस्ताव में संभावित विलंब के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए और साथ ही, मंत्रालय को चाहिए कि वे विशेष रूप से उचित समयावधि से परे अत्यधिक विलंब के मामले में अनुदानों को ऋण में तब्दील करने के उपबंधों को लागू करने से नहीं बचे। समिति राजस्व की कम उगाही पर अपनी निराशा व्यक्त करती है और यह नोट करती है कि सरकार के उत्तर में उस मामले में कुछ नहीं कहा गया है जो लेखापरीक्षा में राजस्व की कम उगाही की बात सामने आई है। समिति सिफारिश करती है कि सरकार को चाहिए कि वे ऐसे सभी कम राजस्व की उगाही के लिए उचित उपाय करें और चूक करने वाली पार्टियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

[लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के भाग-दो का पैरा 7]

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

जैसा कि टिप्पणी 5 में उल्लिखित है, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निष्पादन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें बड़ी संख्या में मुद्दे कार्यान्वयन एजेंसियों के नियंत्रणाधीन नहीं होते हैं। अतएव आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार दिया जाता है।

साथ ही,राजस्व का संग्रह एआईबीपी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि संबंधित राज्य की उनकी नीतियों के अनुसार जिम्मेदारी है। तथापि, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्यों को भेज दी गई है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

राजस्व की वसूली पर मंत्रालय का उत्तर एमएमआई परियोजनाओं से संबंधित "राज्यों में सुधार के लिए विशेष प्रावधान" संबंधी 01.04.2004 से प्रभावी एआईबीपी दिशानिर्देशों के खंड सी (i) (बी) के विपरीत है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय कर सकती है

कि सरकार को देय राजस्व की विधिवत वसूली हो। इस संबंध में की गई कार्रवाई तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित मामलों की सूचना पीएसी को दी जाए।

टिप्पणियाँ और सिफ़ारिशें

योजना की अकुशल निगरानी

समिति महसूस करती है कि फील्ड रिपोर्टों से प्रभावी तालमेल के साथ एनआरएससी के लिए गए सैटेलाइट चित्रों के और अधिक कारगर उपयोग से सिंचाई संभावना की सार्थक तरीके से निगरानी में लंबा समय लगेगा और इसलिए, समिति यह चाहती है कि मंत्रालय रिमोट सेंसिंग प्राधिकरणों के साथ काम कर सैटेलाइट से लिए गए चित्रों और फील्ड वेरिफिकेशन के अंतर को प्रभावी तरीके से यथासंभव कम करने के सभी संभावित कदम उठाएं।

समिति आगे यह भी सिफारिश करती है कि पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट की मजबूती के लिए वाटर यूजर्स एसोसिएशन के जरिए सभी संभव सहायता दी जाए। समिति सिफारिश करती है कि वाटरयूज के बढ़ते पार्टिसिपेटरी मॉडल से सिंचाई संबंधी कमियों के मामले को प्रभावी तरीके से काबू किया जा सकेगा बशर्ते कि एआईबीपी की योजना का प्रयोक्ताओं व उनकी जरूरतों के साथ पुरजोर तालमेल हो। समिति मानती है कि स्थानीय क्षेत्रों में जल प्रयोक्ता स्थानीय मुद्दों से बखूबी रूबरू होते हैं और उनके फीडबैक से निर्गम समाधान को सरकार की योजनाओं में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यद्यपि समिति यह नोट करती है कि वाटरयूजर्स एसोसिएशन के गठन में आने वाली विभिन्न अड़चनों को मंत्रालय ने नोट किया है, तथापि समिति उन अड़चनों को डील करने में मंत्रालय के प्रयासों को भी नोट करती है। अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय भारत के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वाटरयूज एसोसिएशन के गठन को सुकर बनाने के अपने प्रयास को बढ़ाएं।

[लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के भाग-दो का पैरा 10]

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

i. भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) द्वारा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सालाना 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की कमान में फसल क्षेत्र का आकलन किया जा रहा है। हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा एक जियो टैगिंग एप्लिकेशन प्रस्तावित किया गया है जो बहुत उपयोगी होगा। वास्तविक समय में परियोजना घटकों की जियो-टैगिंग के लिए जीआईएस आधारित एप्लिकेशन विकसित किया गया है। परियोजनाओं के नहर नेटवर्क के डिजिटलीकरण के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया गया है।

ii. परियोजनाओं की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है। 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए एक नोडल अधिकारी की पहचान की गई है जो एमआईएस में नियमित रूप से परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति को अद्यतन करते हैं ।

iii. सहभागी सिंचाई प्रबंधन के संबंध में, इस मंत्रालय के तहत कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) के लिए एक अलग विंग है। सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के कार्यान्वयन के लिए यह विंग राज्यों के साथ समन्वय में है, जिसके लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत अधिकार प्राप्त जल उपयोगकर्ता संघ के गठन के माध्यम से सहभागी सिंचाई प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। सीएडीडब्ल्यूएम दिशानिर्देश के अनुसार डब्ल्यूयूए के निर्माण, प्रशिक्षण/प्रदर्शन के माध्यम से उनकी क्षमता विकास, कार्यात्मक अनुदान और बुनियादी ढांचा अनुदान जारी करके उनका वित्तीय सशक्तिकरण; और संचालन और रखरखाव के लिए सीएडीडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों को उन्हें सौंपना अनिवार्य है।

समिति की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में और सीएडीडब्ल्यूएम दिशानिर्देशों के अनुरूप, इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

मंत्रालय द्वारा उपग्रह इमेजरी और फील्ड सत्यापन के बीच अंतर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों से पीएसी को अवगत कराया जाए । मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल उपयोगकर्ता संघ के गठन की अद्यतन स्थिति से पीएसी को अवगत कराया जाए ।

अध्याय-तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति, सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय-चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

टिप्पणियां और सिफारिशें

कार्यक्रम के मुख्य फोकस से ध्यान को कम करना और इसका उद्देश्य–रोंगई वैली परियोजना का मामला

समिति पाती है कि एआईबीपी का कार्यनिष्पादन अभी तक वांछित स्तर से काफी पीछे है और इसका कारण डीपीआर तैयार करने में होने वाले अत्यधिक विलंब से लेकर सार्वजनिक धन का भारी दुरुपयोग तक हो सकता है, जैसा कि रोंगई घाटी परियोजना के मामले में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। समिति यह सिफारिश करती है कि डीपीआर तैयार करने और उस पर कार्रवाई में आने वाली कठिनाइयों और कमियों यथा विलंब, अपर्याप्त सर्वेक्षण, पानी की उपलब्धता का सही आकलन न किया जाना, आईपी गलत होना, कमांड एरिया का सही आकलन न किया जाना, कमांड एरिया में कटौती होना, कार्यकलाप–वार निर्माण योजनाओं का न होना और वितरण प्रणालियों में क्रास–ड्रेनेज कार्यों का समुचित प्रावधान न होना आदि का तत्काल समाधान किया जाए। समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय एआईबीपी के अंतर्गत 17.30 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत की रोंगई घाटी परियोजना को डीपीआर तैयार किए बिना समाविष्ट करने के लिए कोई तर्कसंगत कारण नहीं दे पाया है। समिति आगे यह सिफारिश करती है कि विशेष रूप से रोंगई घाटी परियोजना जैसे मामलों में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लोगों के विरूद्ध पीएसी को सूचना देते हुए कार्रवाई की जाए। समिति आगे यह भी नोट करती है कि 10,550.91 करोड़ रुपए की समग्र स्वीकृत लागत वाली 14 सैम्पल्ड एमएमआई परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। समिति का मानना है कि डीपीआर को लेखापरीक्षा को न भेजे जाने के कारण अधिकांश परियोजनाएं शुरू ही नहीं हो पाती है। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि डीपीआर को नियमित लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाए। समिति का आगे यह मानना है कि मंत्रालय को लेखापरीक्षा से झिझकना नहीं चाहिए। साथ ही समिति यह सिफारिश करती है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए की इन एमएमआई परियोजनाओं की लेखापरीक्षा मंत्रालय के लिए अपने कार्यकरण में सुधार करने हेतु एक अच्छा अनुभव और अवसर होगा।

[लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के भाग-दो का पैरा 2]

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

i. एआईबीपी योजना केवल अंतिम मील का ही वित्त पोषण करती है, इस प्रकार एआईबीपी के तहत शामिल सभी परियोजनाओं में पहले से ही एक बैंक योग्य डीपीआर है, और एआईबीपी के लिए विचार किए जाने से पहले परियोजना लंबी अवधि से कार्यान्वयन के अधीन है। इसके अलावा, एआईबीपी के तहत किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और सिफारिश एक पूर्व-आवश्यकता है। फिर भी कार्यान्वयन के दौरान, कभी-कभी अनपेक्षित अन्वेषन या कार्यान्वयन के दौरान पूरक अध्ययन के समय उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त विवरणों के कारण आवश्यक परिवर्तन होते हैं। एआईबीपी परियोजनाओं के लिए इस मंत्रालय के परामर्श से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इनका उचित रूप से समाधान किया जाता है।

ii. रोंगई घाटी सिंचाई परियोजना, मेघालय, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति द्वारा 22.09.1989 को आयोजित अपनी 44 वीं बैठक में 16.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए स्वीकार्य मानी गई थी। हालांकि डीपीआर का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके लिए टीएसी नोट उपलब्ध है। ऊपर दी गई प्रक्रिया के अनुसार, और टीएसी नोट के अनुसार, परियोजना का व्यापक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया गया था। चूंकि परियोजना पर लगभग 31 वर्ष पूर्व सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया

था, अब उन तथ्यों और विवरणों का पता लगाना कठिन है जिनके आधार पर समिति ने परियोजना को स्वीकार किया था।

iii. चार परियोजनाओं की डीपीआर अब उपलब्ध है और शेष परियोजनाओं की डीपीआर सम्बंधित राज्य सरकार से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि, परियोजनाओं के लिए टीएसी नोट उपलब्ध हैं, जिनमें ऑडिट के लिए बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। डीपीआर उपलब्ध होने तक ऑडिट एजेंसियों से 4 परियोजनाओं की डीपीआर, साथ ही शेष 10 परियोजनाओं के टीएसी नोटों की जांच करने का अनुरोध किया जा रहा है ।

iv. मंत्रालय वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ तीसरे पक्ष के मूल्यांकन पर जोर देता है। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा तकनीकी और वित्तीय ऑडिट किया जाता है, जिसके तहत परियोजना के कार्यान्वयन की बारीकी से जांच की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियों का अपना बहु-स्तरीय लेखापरीक्षा तंत्र होता है। इसके अलावा, मंत्रालय की ओर से कार्य पूरा होने के बाद भी अध्ययन और उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है ।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

i. जैसा कि मंत्रालय ने कहा है, एआईबीपी के तहत शामिल परियोजनाओं में पहले से ही डीपीआर बनाई होती है। तथापि, डीपीआर में पाई गई कमियों को देखते हुए, मंत्रालय पीएसी को डीपीआर की तैयारी और प्रसंस्करण में कमियों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में सूचित कर सकता है।

ii. रोंगई घाटी की डीपीआर का पता लगाने में विफलता को देखते हुए, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के रिकॉर्ड विधिवत संरक्षित हों । मंत्रालय महत्वपूर्ण परियोजना दस्तावेजों के दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड रखने में सुधार के लिए की गई कार्रवाई के बारे में पीएसी को सूचित करे ।

iii. जिन 4 परियोजनाओं के लिए अब डीपीआर उपलब्ध हैं, उनका विवरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि अगली लेखापरीक्षा के दौरान इसकी जांच की जा सके।

iv. परियोजना के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। विभाग पीएसी को परियोजना के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की अद्यतन स्थिति प्रदान करे ।

टिप्पणियां और सिफारिशें

समिति सरकार के उस काल्पनिक व फर्जी व्यय को लेकर लेखापरीक्षा में पाई गई भारी अनियमितताओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराती है जिसे सरकार ने अपने जवाब में अधिकांशतः अनुत्तरित छोड़ दिया है। समिति यह भी नोट करती है कि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से 1.47 करोड़ रुपए के संदिग्ध फर्जी व्यय के मामले में प्रतिक्रिया प्राप्त करने और कर्नाटक सरकार के मामले में 2.63 करोड़ रुपए के संदिग्ध फर्जी भुगतान की वसूली करने में नाकाम रही है। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय ऐसे मामलों में जोर–शोर से काम करें और इनका तार्किक रूप से हल निकालें।

[लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के भाग-दो का पैरा 6]

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

एआईबीपी परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा स्वयं नियोजित, निष्पादित और अनुरक्षित की जाती हैं और सीएजी रिपोर्ट के पैरा 3.11 में उल्लिखित ऐसे मामले उनके द्वारा निपटाए जाते हैं। लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्यों को भेजी गई थी। इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए पीएसी की रिपोर्ट भी उन्हें भेजी गई थी। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी इस प्रकार है:

अपर तुंगा परियोजना, कर्नाटक:

क. उपायुक्त, हावेरी जिला द्वारा श्री एच.वी. हलभवी, प्रभारी, सिरास्तदार के खिलाफ विभागीय जांच की गई है एवं आदेश पत्र संख्या: डीसी/एचएवी/16016/46/2016/एचएवी/ईएसटी01/दिनांक: 25/11/2016 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही सिविल कोर्ट रानीबेन्नूर में श्री एच.वी.

हलभवी और अन्य के विरुद्ध केस भी दायर किया गया है। इसके अलावा, 50.61 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है और शेष 47.23 लाख रुपये की वसूली की जानी बाकी है।

ख. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के कार्यालय में मुआवजे के भुगतान में अनियमितताओं की जांच सी० ए० ओ० , केएनएनएल (प्रशासन), धारवाड़ द्वारा की गई है और सिफारिशों के आधार पर 3 अधिकारियों को जी० ओ ० दिनांक 28/10/2013 द्वारा विधिवत रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, डब्ल्यूआरडी सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जीओ दिनांक 18/10/2014 के अनुसार संबंधित रिकॉर्ड दिनांक 03/01/2015 को सीआईडी प्राधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। सीआईडी की रिपोर्ट का अपेक्षित है।

हरदोई परियोजना, उत्तर प्रदेश:
इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अभिलेखों (अनुमोदित अनुमान एवं माप पुस्तिका) की उचित जांच के बाद यह पाया गया है कि न तो कार्य का दोहराव है और न ही 1.49 करोड़ रुपये का कोई फर्जी भुगतान हुआ है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अपर तुंगा परियोजना, कर्नाटक के मामले में शेष राशि की वसूली में की गई प्रगति, अधिकारियों के खिलाफ अदालती मामला और सीआईडी की रिपोर्ट संबंधी प्रगति से पीएसी को अवगत कराया जाय।

लेखापरीक्षा अवलोकन हरदोई शाखा प्रणाली के एक ही चेनेज पर बार-बार किए गए कार्यों से संबंधित था। हरदोई नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया गया था। जांच करने पर यह पाया गया कि पांच मामलों में एक ही अथवा नहर की ओवरलैपिंग चेनेज पर दो बार समान कार्यआदेश दिए गए थे। सभी पांच संदर्भित मामलों में, कार्य "आंतरिक खंड की बहाली" थे जिन्हें दो बार निष्पादित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रधान महालेखा परीक्षक (लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि उपर्युक्त मामलों से यह स्पष्ट है कि उन सभी कार्यों में कॉमन रीच शामिल थे जो कुछ महीने पहले किसी अन्य ठेकेदार अथवा उसी ठेकेदार द्वारा पहले ही निष्पादित किए जा चुके थे। इसलिए, मंत्रालय का उत्तर कि

"उत्तर प्रदेश सरकार ने पाया है कि न तो काम का दोहराव है और न ही धोखाधड़ी से 1.49 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है" - स्वीकार्य नहीं है।

टिप्पणियां और सिफारिशें

कार्य प्रबंधन में कमियां

समिति नोट करती है कि कार्य प्रबंधन में जीएफआर के अनुसार उच्चस्तर पर अनुमोदन को बाईपास करने के लिए कार्य को अलग–अलग हिस्सों में बांटने, परियोजना को गलत तरीके से चरणबद्ध करने, घटिया कार्यान्वयन आदि जैसी कई कमियां हैं जिन्हें लेखापरीक्षा में उद्धृत किया गया है। समिति चाहती है कि मंत्रालय राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दे कि वे कार्यों के प्रबंधन में उचित निगरानी रखें और किसी भी कमी के लिए जवाबदेही तय करें। इसके अलावा समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय इस तरह की सलाह के अनुपालन में राज्य सरकारों के सम्यक् अध्यनसाय की निगरानी के लिए एक मैकेनिज्म बनाएं।

[लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के भाग-दो का पैरा 8]

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

एआईबीपी परियोजना राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। सभी अनुबंध मामले राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसलिए, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पीएसी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्यों को भेज दी गई है। यद्यपि, मंत्रालय एआईबीपी परियोजनाओं की कार्य-योजना और प्रगति की निगरानी के लिए सफल परियोजना प्रबंधन टूल्स के उपयोग पर जोर देता है, जिसके आधार पर मंत्रालय की निगरानी एजेंसियों द्वारा विशिष्ट मुद्दों को चिह्नित किया जा सके ।

जैसा कि ऊपर टिप्पणी 2 में बताया गया है, राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए पर्याप्त बहु-स्तरीय तंत्र पहले से ही मौजूद हैं।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

यह सच है कि परियोजनाओं के निष्पादन में कार्य प्रबंधन में कमियाँ पाई गई थीं। मंत्रालय को पीएसी द्वारा अनुशंसा के अनुरूप अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। उन मुद्दों, जिन्हें मंत्रालय की निगरानी एजेंसियों द्वारा चिह्नित किया गया है, पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, से पीएसी को अवगत कराया जाये।

टिप्पणियां और सिफारिशें

ठेकेदारों को अनुचित लाभ

समिति ठेकेदारो को अनुचित लाभ होने पर लेखापरीक्षा में की गई टिप्पणियों को नोट करती है और पाती है कि ठेकेदारों को होने वाले अनुचित लाभ के मामले में तकरीबन 303.36 करोड़ रुपए फंसे पड़े हैं और इसकी वजह संविदा में जोखिम व लागत संबंधी क्लॉज की परवाह किए बगैर संविदा समाप्त करना है। समिति सरकार द्वारा बताए गए उन विभिन्न कारणों को भी नोट करती है कि जिनमें परिशोधित नुकसान को न लगाया जाना, भिन्न–भिन्न राज्यों में ठेकेदारों को किए गए अग्रिम व अतिशय भुगतान की वसूली न होना, मानसून के शीघ्र आगमन से लेकर स्थानीय हस्तक्षेप की वजह से आने वाली अड़चनें, खनिज की कमी व नक्सली गतिविधियां शामिल हैं। समिति मानती है कि व्यक्तिगत मामलों की गहन तरीके से जांच की जाए और सार्वजनिक धन के ऐसे दुरुपयोग पर शीघ्र अंकुश लगाया जाए। अतः समिति सिफारिश करती है कि ठेकेदारों को अतिशय भुगतान से शुरू होकर उन्हें होने वाले अनुचित लाभों के ऐसे सभी मामलों की जांच कराने और सार्वजनिक धन के निरर्थक रूप से हुए व्यय की वसूली के निमित्त अभियान चलाने के लिए सरकार एक अलग प्रकोष्ट का गठन

करे। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ऐसी कमियों को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

[लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के भाग-दो का पैरा 9]

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

एआईबीपी परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा स्वयं नियोजित, निष्पादित और अनुरक्षित की जाती हैं और सीएजी रिपोर्ट के पैरा 3.11 में उल्लिखित ऐसे मामले उनके द्वारा निपटाए जाते हैं। लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्यों को भेजी गई थी। इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए पीएसी की रिपोर्ट भी उन्हें भेजी गई थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

यद्यपि परियोजनाओं की योजना, निष्पादन और रखरखाव राज्यों द्वारा किया जाता है, तथापि मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि परियोजनाओं के तहत कार्य केंद्र द्वारा पर्याप्त वित्त पोषण के माध्यम से की जा रही हैं। अतएव, मंत्रालय को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित ठेकेदारों को अनुचित लाभ के मामलों का संज्ञान लेन चाहिए और पीएसी द्वारा सिफारिश की गई जांच के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए । ठेकेदारों को अनुचित लाभ के सभी मामलों की जांच के लिए एक अलग सेल बनाने की पीएसी की सिफारिश पर की गई कार्रवाई की सूचना पीएसी को दी जाए।

अध्याय-पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं

_शून्य-

नई दिल्ली ;
मार्च, 2022
फाल्गुन, 1943(शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति
लोक लेखा समिति

परिशिष्ट -I

<u>लोक लेखा समिति (2021-22) की 10 फरवरी, 2022 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश</u>

लोक लेखा समिति की बैठक गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को 1500 बजे से 1555 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री विष्णु दयाल राम
5. श्री राहुल रमेश शेवाले
6. डॉ. सत्यपाल सिंह
7. श्री राजीव रंजन सिंह `ललन`
8. श्री जयंत सिन्हा
9. श्री राम कृपाल यादव

<u>राज्य सभा</u>

10. श्री शक्तिसिंह गोहिल
11. श्री भुबनेश्वर कालिता
12. डॉ. सी.एम. रमेश
13. श्री वि. विजयसाई रेड्डी
14. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

<u>लोक सभा सचिवालय</u>

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर – संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्री एस.आर. मिश्रा - निदेशक
4. श्रीमती भारती एस. टुटेजा – अपर निदेशक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि

1. श्री राकेश मोहन - उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

2. श्री राज गणेश विश्वनाथन - उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

3. श्रीमती रितिका भाटिया - महानिदेशक

भाग-एक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में समिति के सदस्यों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात,उन्होंने समिति के समक्ष निम्नलिखित तीन कार्यसूची मदों से सदस्यों को अवगत कराया।

एक. XXXX XXXX XXXX

दो. XXXX XXXX XXXX

तीन. 4 प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

3. XXXX XXXX XXXX

4. XXXX XXXX XXXX

5. XXXX XXXX XXXX

6. XXXX XXXX XXXX

7. XXXX XXXX XXXX

8. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:

एक. XXXX XXXX XXXX

दो. XXXX XXXX XXXX

तीन. XXXX XXXX XXXX

चार. " त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम " विषयक समिति के 14वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन

9. XXXX XXXX XXXX

10. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात,समिति ने उपर्युक्त चार प्रतिवेदनों को बिना किसी परिवर्तन/संशोधन के स्वीकार किया। समिति ने तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे माननीय अध्यक्ष/संसद को प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत भी किया।

<u>भाग-दो</u>

11. XXXX XXXX XXXX
12. XXXX XXXX XXXX
13. XXXX XXXX XXXX
14. XXXX XXXX XXXX
15. XXXX XXXX XXXX

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

समिति की बैठक की कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

परिशिष्ट-दो

(देखिए प्राक्कथन का पैरा 5)

लोक लेखा समिति के 14वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

(एक)	टिप्पणियों/सिफारिशों की कुल संख्या	10
(दो)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: पैरा सं.- 1,3,4,5,7 और 10	कुल : 06 प्रतिशत: 60%
(तीन)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति, सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: पैरा सं.- शून्य	कुल : 00 प्रतिशत: 00
(चार)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: पैरा सं.- 2, 6, 8 और 9	कुल : 04 प्रतिशत: 40%
(पांच)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं: पैरा सं.- शून्य	कुल : 00 प्रतिशत: 00